



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062026-273224
CG-DL-E-06062026-273224

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2767]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 2767]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2026

का.आ. 2861(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5703 (अ) तारीख 04.12.2025 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में श्रीकाकुलम-अंगुल पाइपलाइन (एस ए पी एल) और स्पर पाइप लाईन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

श्रिकाकुलम—अनगुल गैस पाईपलाईन								
भूमि अनुसूचि								
जिला- गजपति		राज्य : ओडिशा						
तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं	अधिसूचित क्षेत्र			संशोधितक्षेत्र		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर	हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
काशीनगर	पापेयापेटा-43	368	00	01	19	00	01	26
		366	00	05	84	00	14	81
		325	00	00	66	00	01	08
		220	00	03	07	00	04	46
		219	00	10	58	00	10	71

श्रिकाकुलम—अनगुल गैस पाईपलाईन								
भूमि अनुसूचि								
जिला- रायगडा		राज्य : ओडिशा						
तहसील का नाम	गाँव का नाम-थाना नं.	सर्वे नं	अधिसूचित क्षेत्र			संशोधितक्षेत्र		
			हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर	हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रामानागुडा	धाराखूटी-95	22	00	32	50	00	33	25
		22/140	00	09	04	00	10	02
गुनुपुर	नरजसमुंडा-164	7/143	00	00	00	00	08	09
		7/145	00	00	00	00	14	69
		7/141	00	00	00	00	12	73

		7/142	00	00	00	00	06	95
		3/2	00	08	31	00	14	04
गुनुपुर	रेगेरा-165	608/1	00	78	19	00	79	00
कलनरा	पंडरूताला-386	372	00	02	63	00	02	68
		338	00	06	93	00	07	92
		320	00	13	00	00	13	32
		322/1	00	00	50	00	03	36
कलनरा	जम्बालीलीबारी-314	186/4	00	18	56	00	19	43
कलनरा	पादलेखापै-310	7	00	30	84	00	31	38
		2/1	00	45	85	00	48	15
		81/2	00	32	93	00	34	81
कलनरा	गौरालीलीबारी-74	57	00	56	14	00	65	54
		59	00	00	00	00	11	69
रायगडा	कासीली -90	92	00	13	32	00	14	05
		95/293/580	00	00	00	00	15	67
		97	00	06	08	00	06	28
रायगडा	कटापेटा-98	105	00	10	89	00	12	56
		207	00	18	23	00	25	46
रायगडा	बारीझोला-145	143	00	07	81	00	20	84
		201/1	00	71	06	00	71	41
रायगडा	हलुअ-137	109	00	54	98	00	63	12
		111	00	19	78	00	21	62
रायगडा	देओमुलासंकेसी-123	18	00	14	89	00	15	22
		19	00	01	43	00	05	75
रायगडा	लारा-442	104	00	03	35	00	03	46
रायगडा	गुमा-447	3	00	09	43	00	12	65

[फा. सं. एल -14014/156/2022-जीपी-II (ई-43767)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2026

S.O. 2861(E).— Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 5703 (E) dated. 04.12.2025 issued under sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intension to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Srikakulam-Angul Pipeline (SAPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India.

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the specified in the Schedules appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of the Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from encumbrances.

SCHEDULE

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPE LINE								
LAND SCHEDULE								
District- Gajapati		State: Odisha						
Name of Tehsil	Name of Village- Thana no.	Survey No.	NOTIFIED AREA			REVISED AREA		
			Hector	Are.	Sq.mtr.	Hector	Are.	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kashinagar	Papeyapeta-43	368	00	01	19	00	01	26
		366	00	05	84	00	14	81
		325	00	00	66	00	01	08
		220	00	03	07	00	04	46
		219	00	10	58	00	10	71

SRIKAKULAM-ANGUL GAS PIPE LINE								
LAND SCHEDULE								
District- Rayagada		State: Odisha						
Name of Tehsil	Name of Village- Thana no.	Survey No.	NOTIFIED AREA			REVISED AREA		
			Hector	Are.	Sq.mtr.	Hector	Are.	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ramanaguda	Dharakhunti-95	22	00	32	50	00	33	25
		22/140	00	09	04	00	10	02
Gunupur	Narasimunda-164	7/143	00	00	00	00	08	09
		7/145	00	00	00	00	14	69
		7/141	00	00	00	00	12	73
		7/142	00	00	00	00	06	95
		3/2	00	08	31	00	14	04
Gunupur	Regera-165	608/1	00	78	19	00	79	00
Kolnara	Pandrutala-386	372	00	02	63	00	02	68
		338	00	06	93	00	07	92
		320	00	13	00	00	13	32
		322/1	00	00	50	00	03	36
Kolnara	Jambalilibari-314	186/4	00	18	56	00	19	43
Kolnara	Padalekhpai-310	7	00	30	84	00	31	38
		2/1	00	45	85	00	48	15

		81/2	00	32	93	00	34	81
Kolnara	Gouralilibari-74	57	00	56	14	00	65	54
		59	00	00	00	00	11	69
Rayagada	Kasili-90	92	00	13	32	00	14	05
		95/293/580	00	00	00	00	15	67
		97	00	06	08	00	06	28
Rayagada	Katapeta-98	105	00	10	89	00	12	56
		207	00	18	23	00	25	46
Rayagada	Barijhola-145	143	00	07	81	00	20	84
		201/1	00	71	06	00	71	41
Rayagada	Halua-137	109	00	54	98	00	63	12
		111	00	19	78	00	21	62
Rayagada	Deomulasankesi-123	18	00	14	89	00	15	22
		19	00	01	43	00	05	75
Rayagada	Lara-442	104	00	03	35	00	03	46
Rayagada	Guma-447	3	00	09	43	00	12	65

[F. No. L-14014/156/2022-GP-II (E-43767)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.